न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/08/18	09–01–2018	16–11–2018

01. सीताराम मीना पुत्र बद्रीलाल मीना, जाति मीना निवासी ग्राम बहडको कलां उचित मूल्य दुकानदार 1/2 भाग, ग्राम पंचायत बहडको कलां तहसील रैणी जिला अलवर।

अपीलान्ट

बनाम

01. जिला रसद अधिकारी, अलवर (राजस्थान)

रेस्पौडेण्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा जिला रसद अधिकारी अलवर दिनांक 10–11–2017 बाबत प्राधिकार पत्र संख्या 1276/2003 प्रकरण संख्या 18/2017

उपस्थितः–

01. श्री श्योराम सिंह नरूका –वकील अपीलान्ट
02. विभागीय पैरोकार –रेस्पौडेण्ट

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 25–01–2018 जिसके द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र संख्या 1276/2003 निलंबित करने के आदेश दिये गये है, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं पत्रावली तहत तलब की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बिना अपीलान्ट को सुने निलंबित किया है। अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र दिनांक 24.10.17 को बहाल किया गया था जिस तथ्य का अंकन अपीलाधीन आदेश में भी किया हुआ है, अपीलान्ट को कोई उचित मूल्य सामग्री उठाव एवं वितरण के आदेश जारी करने के बावजूद सामग्री प्रदान नही की गई। दिनांक 28.10.17 को जिला रसद अधिकारी अलवर द्वारा अपीलान्ट के विरूद्व संशोधित आदेश पारित करते हुए अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बेजा रूप से निलम्बित किया गया, जिसकी कोई सूचना या आदेश की प्रति अपीलान्ट को उपलब्ध नहीं कराई गई, ना ही आदेश दिनांक 28.10.17 की बाबत कोई कारण बताओं नोटिस अपीलान्ट को जारी किया गया। जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलान्ट के विरूद्व अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व किसी प्रकार की कोई जांच नहीं कराई गई। अपीलान्ट के विरूद्व कोई अनियमितता नही रही है, जिला रसद अधिकारी राजनैतिक दबाव के चलते अपीलान्ट का प्राधिकार विधि विरूद्व तरीके से दिनांक 10.11.17 को एकपक्षीय निर्णय पारित करते हुए निरस्त किया गया है। प्रवर्तन निरीक्षक की जांच रिपोर्ट दिनांक 26.9.16 में दर्ज कि दिनांक 23.9.16 को ग्राम पंचायत बिचगांव, लक्ष्मणगढ में आयोजित रात्रि चौपाल मे माननीय

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

विधायक राजगढ–लक्ष्मणगढ श्रीमती गोलमा देवी द्वारा मै0 सीताराम मीना की जांच कर बहाल करने हेतु निवेदन किया गया, जिसकी पालना में दिनांक 26.9.16 को पंचायत समिति सदस्य, सरपंच ग्राम पंचायत बहडको कलां, पार्षद वार्ड नं. 1, 2 व अन्य ग्रामीण कार्यालय में उपस्थित हुए उन्होनें बताया कि शिकायतकर्ता रामकेश,कमलेश,सुरेन्द्र तीनों ही खाद्य सुरक्षा में चयनित नहीं है तथा तीनों द्वारा उचित मूल्य दुकान लेने के लिए शिकायत की गई। डीलर की वितरण सम्बन्धी कोई शिकायत नहीं है। पंचायत समिति सदस्य, सरपंच ग्राम पंचायत ने स्वयं ने वितरण की जिम्मेदारी लेते हुए डीलर को बहाल करने की प्रार्थना की है, जिसके बावजूद भी जिला रसद अधिकारी द्वारा राजनैतिक दबाव के चलते अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बेजा रूप से निरस्त किया गया है। अपीलान्ट के विरूद्व किसी प्रकार का कोई शिकायत प्रस्तुत हुए बिना, कोई जांच किये बिना, कोई कारण बताओ नोटिस अपीलान्ट को जारी किये बिना ही एकपक्षीय में आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट अपना कार्य को पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से करता चला आ रहा है। अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निलम्बित चल रहा है। प्राकृतिक न्याय का सर्वमान्य सिद्वान्त है कि किसी भी पक्षकार के विरूद्व कोई भी निर्णय देने से पूर्व समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिया जाना आवश्यक है, परन्तु जिला रसद अधिकारी द्वारा आलोच्य निर्णय पारित के करने से पूर्व अपीलान्ट को साक्ष्य पेश करने एवं व्यक्तिगत सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नही किया गया। अपीलान्ट पर लगाये गये आरोप गम्भीर प्रवृति के नहीं है और किसी प्रकार का गबन किया गया है। जिला रसद अधिकारी द्वारा मनमाने रूप से हठधर्मिता से आलोच्य आदेश पारित किया गया है। आलौच्य आदेश दिनांक 10.11.17 की जानकारी दिनांक 02.01.18 को जिला रसद कार्यालय में आने पर हुई। आलौच्य आदेश दिनांक 10.11.2017 से जानकारी दिनांक 02.01.18 तक का समय लाईल्मी होने के कारण कण्डोन फरमाया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन है कि आलौच्य आदेश दिनांक 10.11.2017 से अपील पेश करने तक के समय को न्यायहित में कण्डोन फरमाते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर स्वीकार फरमाई जावें। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावें एवं अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने के आदेश दिये जावें।

विभागीय पैरोकार ने अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट की पत्नी द्वारा गाली गलोच एवं अभद्रता पूर्ण व्यवहार किये जाने और सामग्री वितरण में बार–बार अनियमितता बरते जाने के कारण उचित मूल्य दूकानदार द्वारा उक्त कृत्य कर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियम) आदेश 1976 के तहत जारी प्रा0 पत्र की शर्त संख्या 17 सी व 18 का स्पष्ट उल्लधंन किया गया है। प्रवर्तन निरीक्षक ने जांच कर सही रिपोर्ट पेश की है, प्राप्त शिकायत के आधार पर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया है। जांच के दौरान स्थिति सही नहीं मिली जिसके आधार पर कार्यवाही की गई है। अतः अपील खारिज फरमाई जावें।

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

Scanned by CamScanner

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा–5 कानून मियाद पर विचार किया। अपीलान्ट ने आदेश दिनांक 10.11.2017 के विरूद्व दिनांक 09.01.2018 को अपील पेश की व अपीलाधीन आदेश की जानकारी की दिनांक 02.01.2018 होना जाहिर किया है। रैस्पा0 ने ऐसा कोई साक्ष्य पेंश नही किया जिससे यह प्रमाणित होता हो कि अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी प्रारम्भ से रही हों। अपीलान्ट के कथनों पर विश्वास कर अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाता है। जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है अपीलान्ट ने अपील पेश कर मुख्य तर्क उठाया कि अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट को बिना सुने पारित किया है तथा अपीलान्ट पर लगाये गये आरोप गंभरी प्रवृति के नहीं है। जिसके संबंध में बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया जाना न्यायोचित नहीं है। अपीलान्ट के द्वारा उठाये गये तर्क के संबंध में तहत अदालत की पत्रावली का अवलोकन किया। तहत अदालत द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र दिनांक 24.10.2017 को बहाल किया गया था उसके उपरान्त संशोधित आदेश क्रमांक 39625 दिनांक 28.10.17 को उचित मूल्य दुकानदार की दुर्व्यवहार की शिकायत एवं पूर्व में दर्ज विभागीय प्रकरण जारी रखते हुए प्रा.पत्र निलम्बित किया गया दिनांक 10.11.17 को प्राधिकार पत्र निलंबित किया जाकर राशन वितरण की व्यवस्था हेतु अटैचमेन्ट करते हुए प्रा.पत्र निरस्त किया गया है। तहत अदालत की पत्रावली में अपीलान्ट को जिला रसद अधिकारी द्वारा कारण बताओं नोटिस जारी किया जाना नही पाया गया। तहत अदालत द्वारा अपीलान्ट को किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी नही किया और ना ही सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया, साथ ही प्राधिकार पत्र के निलम्बन को 90 दिन से अधिक हो चुका है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल किया जाकर जिला रसद अधिकारी अलवर को पत्रावली इस आदेश के साथ रिमान्ड की जाती है कि वे प्रार्थी/अपीलान्ट को विधिवत सुनवाई का अवसर/साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण का यथा सम्भव एक माह में गुणावगुण के आधार पर निस्तारण करें। निर्णय प्रति तहत अदालत को मय रिकॉर्ड पालनार्थ भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 16–11–2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर, अलवर

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner